**विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),**

**कानपुर मण्डल, कानपुर ।**

**परिवाद संख्या - 43/2021**

**इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,**
**विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)**

**------- परिवादी /आवेदक**

**बनाम**

**अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)**
**घाटमपुर, कानपुर नगर ।**

**-------विपक्षी**

**अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)**
**(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)**

**निर्णय**

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, घाटमपुर, कानपुर नगर (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 91039 एवं खाता सं. 781726618757 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनरांशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

आगे जारी है ।

इण्डस टावर लि. कोहरा गुजेला घाटमपुर, कानपुर नगर का संयोजन सं. 91039 एवं खाता सं. 781726618757 स्वीकृत भार 16.67 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 4,15,382/- था।

<u>निष्कर्ष</u>

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, घाटमपुर, कानपुर नगर के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) विपक्षी द्वारा पत्रांक सं. 4434/वि.वि.ख.घा.का./ दिनांक 27.12.2022 (का. सं. 7/1 ता 7/3) दिनांक 28.12.2022 को दाखिल किया गया है। परिवादी का संशोधित बिल (संयोजन सं. 91039 एवं खाता सं. 781726618757) सितम्बर 2022 तक पूर्व की जमा रसीदो का समायोजन करते हुये संशोधित बिल की धनराशि रु. 5,03,614/- रसीद सं. 35273910122204040001 दिनांक 10.12.2022 को जमा कर दिया गया है। परिवादी की स्वेच्छा एवं स्वयं के अनुरोध पर संशोधित बिल हस्तगत कराया गया है। जिसके फलस्वरुप परिवादी द्वारा बिल जमा कर दिया गया है। वर्तमान में कृषि फीडर की लाइन प्रथक बनायी जा रही है तथा परिवादी की विद्युत आपूर्ति मिश्रित फीडर से की जा रही है। जिसे ग्रामीण आपूर्ति के आधार पर परिवर्तित करना वर्तमान में सम्भव नहीं है। वर्तमान में 18 घंटे आपूर्ति दी जा रही है। जिससे परिवादी संतुष्ट है।

विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड घाटमपुर द्वारा पत्रांक सं. 4434/वि.वि.खं.घा.का. दिनांक 27.12.2022 (का. सं. 7/1 ता 7/3) दिनांक 28.12.2022 को दाखिल किया गया है। फोरम द्वारा परिवादी के अधिकृत अधिवक्ता को E-Mail के माध्यम से दिनांक 28.12.2022 को उपलब्ध करा दिया गया था। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संयोजन का भुगतान रु. 5,03,614/- दिनांक 10.12.2022 को खाता सं. 781726618757 में कर दिया गया है। अतः किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। पिछली नियत तिथि दिनांक 30.12.2022 को न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी गयी। आज नियत तिथि 07.01.2023 को परिवादी के अधिवक्ता उपस्थिति नहीं हैं। इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यो के आधार पर परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आगे जारी है।

<u>आदेश</u>

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद संतुष्ट के आधार पर निस्तारित किया जाता है। परिवादी द्वारा संतुष्टि के आधार पर बिल का भुगतान बराबर किया जा रहा है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

7.1.23

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

07/1/23

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 07/01/2023

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

07/1/23

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 07/01/2023

<u>Distribution</u> :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति